



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdbed.cce@gmail.com jdpl.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (0);

क्रमांक:-एफ24(NOC21-22)/बी.एड./आकाशि/2021/606

दिनांक:-07-12-2021

आदेश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर W.P.(Civil) No. 1179 of 2021 में पारित निर्णय दिनांक 17.11.2021 की पालना में पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के द्वारा जारी मान्यता आदेश दिनांक 23.11.2021 के अनुसरण में बी.एड. (2 वर्षीय) पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु निम्नलिखित निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को सत्र 2021-22 के लिए अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र अधोलिखित शर्तों के अधीन एतद्वारा जारी किया जाता है:-

क्र.सं.	संस्था का नाम व पता	पाठ्यक्रम का नाम	एन.सी.टी.ई. के मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांक	सीट संख्या	सहशिक्षा/ महिला
1	Shekhawati Shikshan Sansthan, Nokha Road, Tehandesar, Village-Tehandesar, Tehsil- Bidasar, Dist.-Churu- 331517	B.Ed. (2 Year)	WRC/NCTE/RJ- --- /B.Ed./ 2021/218367 dated 23-11-2021	(2 Unit) 50 Student each	महिला

1. प्रवेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयक पीटीईटी के माध्यम से पी.टी.ई.टी. परीक्षा 2021 की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।
2. निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई राशि विद्यार्थियों से नहीं लेये।
3. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी।
4. निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के निर्धारित मानदण्डों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर सकती है।
5. निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय / विश्वविद्यालय द्वारा योग्यताधारी शिक्षकों को उपलब्धता की सुनिश्चितता की जायेगी।
6. राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य स्तरीय काउन्सिलिंग में भाग ले रहे निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय / विश्वविद्यालय स्वयं के स्तर पर अथवा अन्य फेडरेशन / सोसायटी आदि के द्वारा परीक्षा आयोजित कर या अन्य किसी आधार पर पृथक से शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान नहीं करेंगे।
7. निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्वयं की वेबसाइट निर्मित कर महाविद्यालय से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचना वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी।
 - 1-एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता आदेश,
 - 2-राज्य सरकार द्वारा जारी अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र
 - 3-अनुमोदित शैक्षणिक स्टाफ एवं अध्यापक स्टाफ की सूची
 - 4-संचालित पाठ्यक्रम का नाम मय स्वीकृत सीट संख्या

आयुक्त
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समन्वयक पीटीईटी 2021 राजकीय स्तर महाविद्यालय बीकानेर।
6. रजिस्ट्रार, महाराजा पंगोसिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
7. क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जी-7, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075।
8. उपसचिव परामर्शी, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव/प्राचार्य, शैखवाटी शिक्षण संस्थान, नोखा रोड, ग्राम-तेहनदेसर, तहसील-बीदासर, जिला-चुरू।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (निजी संस्था)
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

शैखवाटी शिक्षण संस्थान
बीदासर नोखा रोड, तेहनदेसर (चुरू)



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdbed.cce@gmail.com and jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक:-एफ24(NOC21-22) / बी.एड/आकाशि/2021/610

दिनांक:-08.12.2021

समन्वयक पी.टी.ई.टी.2021,
राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर,
बीकानेर।

विषय:-अनापत्ति प्रमाण पत्र 2021-22 में संशोधन करने बाबत।

सन्दर्भ:-एफ24(NOC21-22)/ बी.एड/आकाशि/2021/606 दिनांक 07.12.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सूचित कर लेख है कि विभाग के आदेश पत्र क्रमांक: एफ 24(NOC21-22) / बी.एड/आकाशि/2021/606 दिनांक 07.12.2021 शेखावाटी शिक्षण संस्थान, नोखा रोड़, तेहनदेसर, ग्राम-तेहनदेसर, तहसील-बीदासर, जिला-चूरु को B.Ed. (2 year) कार्यक्रम 100 सीट महिला संचालन करने हेतु सत्र 2021-22 के लिए अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। उक्त आदेश में अंकित महिला के स्थान पर सहशिक्षा पढ़ा जावे।

अ.रा.क.

संयुक्त निदेशक(निजी संस्था)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
5. क्षेत्रीय निदेशक, वेस्टन.आर.सी.- एन.सी.टी.ई. जी-7, सेक्टर-10, द्वारका, (नियर सेक्टर-10 मेट्रो स्टेशन), नई दिल्ली-110075
6. परियोजना अधिकारी, राज्य सूचना(एनआईसी), शासन सचिवालय, जयपुर।
7. सचिव/प्राचार्य, शेखावाटी शिक्षण संस्थान, नोखा रोड़, तेहनदेसर, ग्राम-तेहनदेसर, तहसील-बीदासर, जिला-चूरु

अ.रा.क.

संयुक्त निदेशक(निजी संस्था)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

शेखावाटी शिक्षण संस्थान
बीदासर नोखा रोड़, तेहनदेसर (चूरु)